



प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना बांगरमऊ,
जनपद उन्नाव

बांगरमऊ पुलिस व एसओजी की संयुक्त कार्रवाई में 10-10 हजार रुपए के दो इनामी बदमाश गिरफ्तार — मुठभेड़ में दोनों के पैर में लगी गोली

पुलिस अधीक्षक जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बांगरमऊ पुलिस, स्वाट एवं सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 10-10 हजार रुपये के इनामिया दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 06.10.2025 को समय करीब 19.45 बजे थाना बांगरमऊ पुलिस, एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा थाना बांगरमऊ क्षेत्रान्तर्गत डहन गांव के पास डहन रोड पर संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की जा रही थी तभी पुलिस टीम द्वारा एक बाइक पर सवार दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में की गयी मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके पर ही पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा अपना नाम 1. विवेक उर्फ सुआ पुत्र ऋषिकान्त उम्र 25 वर्ष निवासी ककेडी थाना साण्डी जनपद हरदोई 2. सोलंकी पुत्र श्यामकुमार उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम कैथोलिया थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई बताया तथा अपने साथियों के साथ दिनांक 03.10.2025 को थाना बांगरमऊ क्षेत्रान्तर्गत चन्द्रा धर्मकांटा के पास राम जीवन पुत्र बिहारी लाल नि0 हैबतपुर थाना बांगरमऊ जनपद उन्नाव के थैले से 76,000 हजार रुपये लेकर भाग जाने की बात स्वीकार की, जिसके सन्दर्भ में थाना बांगरमऊ पर मु0अ0स0- 603/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मौके से विवेक उपरोक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा चोरी किये गये 5200 रुपये नगद व अभियुक्त सोलंकी के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस व चोरी के 4700 रु0 बरामद हुये है। दोनों अभियुक्तगण मु0अ0सं0 607/25 धारा 109 BNS व

3/25/27 A Act में बांछित है तथा 10-10 हजार रुपये इनामिया अभियुक्त हैं। अभियुक्त विवेक उपरोक्त पर जनपद उन्नाव, सीतापुर एवं शाहजहांपुर में लूट, गैंगस्टर, आर्म्स एक्ट व चोरी सहित 08 मुकदमें एवं अभियुक्त सोलंकी के विरुद्ध जनपद हरदोई, कन्नौज व मथुरा में आर्म्स एक्ट, चोरी, गैंगस्टर व हत्या के प्रयास सहित कुल 11 मुकदमें दर्ज हैं। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना बांगरमऊ में दिनांक 06.10.25 को मु0अ0सं0 610/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 ARMS ACT पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. विवेक उर्फ सुआ पुत्र ऋषिकान्त निवासी ग्राम ककेडी थाना साण्डी जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष
2. सोलंकी पुत्र श्यामकुमार निवासी ग्राम कैथेलिया थाना कोतवाली सदर जनपद हरदोई उम्र करीब 36 वर्ष

अभियुक्त विवेक उर्फ सुआ का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 610/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 ARMS ACT थाना बांगरमऊ उन्नाव
2. मु0अ0सं0 607/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 ARMS ACT थाना बांगरमऊ उन्नाव
3. मु0अ0सं0- 603/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बांगरमऊ, उन्नाव
4. मु0अ0सं0 83/23 धारा 379/411 भादवि थाना बांगरमऊ उन्नाव
5. मु0अ0सं0 137/23 धारा 379/411 भादवि थाना बांगरमऊ उन्नाव
6. मु0अ0सं0 371/23 धारा 379 भादवि थाना पुवांया शाहजहांपुर
7. मु0अ0सं0 257/23 धारा 379/411 भादवि थाना तिलहर शाहजहांपुर
8. मु0अ0सं0 127/16 धारा 395, 412 भादवि थाना मिश्रिख सीतापुर
9. मु0अ0सं0 427/16 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना मिश्रिख सीतापुर

अभियुक्त सोलंकी का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 610/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 ARMS ACT थाना बांगरमऊ उन्नाव
2. मु0अ0सं0 607/25 धारा 109 BNS व 3/25/27 ARMS ACT थाना बांगरमऊ उन्नाव
3. मु0अ0सं0- 603/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बांगरमऊ, उन्नाव
4. मु0अ0सं0 831/15 धारा 307/34 भादवि थाना कोतवाली सिटी हरदोई
5. मु0अ0सं0 832/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली सिटी हरदोई
6. मु0अ0सं0 886/15 धारा 2(B)(ii)/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना कोतवाली सिटी हरदोई

- 7.मु0अ0सं0 809/09 धारा 110(G) थाना कोतवाली सिटी हरदोई
- 8.मु0अ0सं0 32/18 धारा 379/411 भादवि थाना मल्लावां हरदोई
- 9.मु0अ0सं0 242/08 धारा 379, 411 भादवि थाना कछौना हरदोई
- 10.मु0अ0सं0 536/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली कन्नौज
- 11.मु0अ0सं0 75/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली कन्नौज
- 12.मु0अ0सं0 242/06 धारा 399, 401 भादवि थाना गोवर्धन मथुरा
- 13.मु0अ0सं0 244/06 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना गोवर्धन मथुरा

बरामदगी-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 5200/- रुपये चोरी के अभियुक्त विवेक उर्फ सुआ से
2. एक अदद तमंचा 315 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 4700/- रुपये चोरी के अभियुक्त सोलंकी से
3. एक अदद मो0सा0 हीरो कम्पनी एच एफ डीलक्स बिना नम्बर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री चन्द्रकान्त सिंह
- 2.उ0नि0 श्री अजय कुमार यादव,
- 3.उ0नि0 श्री सतीशचन्द्र द्विवेदी,
4. हे0का0 भइया लाल
5. का0 शोभित यादव
- 6.का0 जितेन्द्र सिंह
7. का0 आदित्य कुमार
- 8.का0 शिवुकमार,
- 9.कां0 राज कुमार सोनकर,
- 10.का0 हरेन्द्र सिंह
11. का0 मुकेश मौर्या
12. का0 मनोज कुमार पलावत

स्वाट टीम-

- स्वाट प्रभारी निरीक्षक श्री जय प्रकाश यादव
उ0नि0 श्री ज्ञान सिंह

हे0का0 आशीष मिश्रा

का0 रवी

का0 नितीश

का0 गौरव

का0 शुभम

का0 हरेश

का0 यशवीर

का0 राहुल

सर्विलांस टीम-

उ0नि0 श्री विनोद सिंह सर्विलांस प्रभारी

का0 अरुण कुमार

का0 आकाश बालियान





प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना गंगाघाट,
जनपद उन्नाव

हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 31/08/2025 को मुकदमा वादी श्री सोनू पुत्र स्व० राजाराम निवासी गगनीखेडा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 31/08/2025 को समय लगभग 9.30 बजे रात मैं अपने दादा स्व० चन्द्रिका निषाद की दुकान तक गया था पीछे से मेरा पुत्र अजीत भी मेरे पास चला आया मुझे जान से मार देने की घात लगाये बैठे अशोक व विनोद निषाद पुत्रगण हीरालाल अशोक का भान्जा सूरज व लल्लू पुत्र सत्यनारायन अमित पुत्र रामबाबू निवासीगण गगनीखेडा व सुरेश निषाद उर्फ पाण्डा पुत्र मनोहर निषाद निवासी मन्सुखखेडा तथा अन्य दो लोग अज्ञात जिन्हे मैं पहचान नहीं सका मुझे जान से मार देने की नियत से मुझे ललकारा और फायर कर दिया फायर मुझे न लगकर मेरे पुत्र अजीत को लग गयी गोली लगते ही सभी लोग भग गये। मैं शोर मचाते हुए अपने पुत्र को उठाकर जिला अस्पताल उन्नाव लाया जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रस्तुत तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 535/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109/103(1) बीएनएस बनाम 1.अशोक, 2.विनोद निषाद पुत्रगण हीरालाल, 3.अशोक का भांजा सूरज, 4.लल्लू पुत्र सत्यनारायन, 5.अमित पुत्र रामबाबू निवासीगण गगनीखेडा व 6.सुरेश निषाद उर्फ पाण्डा पुत्र मनोहर निषाद निवासी मन्सुखखेडा, 7.अन्य दो लोग अज्ञात पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अशोक पुत्र हीरालाल निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव को पुलिस मुठभेड में दिनांक 01.09.2025 को मय नाजायज असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। दिनांक 02.09.2025 को नामित अभियुक्त विनोद पुत्र हीरालाल निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। दिनांक 02.09.2025 को मुकदमा वादी के मजीद बयान व मुकदमा वादी के भाई जितेन्द्र पुत्र स्व० राजाराम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी गगनी खेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव के बयानों व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तगण 1.नक्का पुत्र जुगाडी निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव, 2.सुनील पुत्र किशन निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव, 3.राकेश (अमित का शाला) निवासी चम्पापुरवा, 4.दीपक सविता पुत्र रमेश निवासी चम्पापुरवा, 5.साकेत पाल पुत्र हेमराज पाल निवासी सम्भरखेडा देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 6.शुभम गौतम उर्फ सत्या उर्फ RDX पुत्र गौरीशंकर गौतम निवासी सम्भरखेडा देवाराकला गंगाघाट उन्नाव, 7.धनन्जय सिंह पुत्र मेघनाथ सिंह निवासी देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 8.शिवशंकर दुबे पुत्र दिनेश दुबे निवासी कृष्णानगर अम्बिकापुरम गंगाघाट उन्नाव के नाम प्रकाश में आये व धारा 3(5) बीएनएस बृद्धि की गई। मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.शुभम गौतम उर्फ सत्या उर्फ RDX पुत्र गौरीशंकर गौतम उम्र करीब 26 वर्ष निवासी सम्भरखेडा देवाराकला गंगाघाट उन्नाव, 2.धनन्जय सिंह पुत्र मेघनाथ सिंह उम

करीब 21वर्ष निवासी देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव, 3.सुनील पुत्र किशन उम्र 26 वर्ष निवासी गगनी खेडा गंगाघाट उन्नाव, 4.दीपक सविता पुत्र रमेश उम्र करीब 25 वर्ष निवासी चम्पापुरवा थाना गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार कर दिनांक 03.09.2025 को जेल भेजा गया। दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्त साकेत पाल पुत्र हेमराज पाल निवासी सम्भरखेडा देवाराकला थाना गंगाघाट उन्नाव को पुलिस मुठभेड में मय नाजायज असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त अमित पुत्र रामबाबू निवासी जगनीखेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 04.09.2025 को व अभियुक्त सूरज पुत्र किशन निवासी गगनीखेडा गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा दिनांक 01/10/2025 को आत्मसमर्पण किया गया तथा दिनांक 06/10/2025 को वांछित अभियुक्त नक्का पुत्र जुगाडी निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव निवासी चम्पापुरवा गंगाघाट उन्नाव को गिरफ्तार किया गया है। आज दिनांक 07/10/2025 को वांछित अभियुक्त राकेश कनौजिया पुत्र रामसहाय कनौजिया निवासी मोहल्ला चम्पापुरवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष को कान्हा गौशाला के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश कनौजिया पुत्र रामसहाय कनौजिया निवासी मोहल्ला चम्पापुरवा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र करीब 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र०नि० श्री अजय कुमार सिंह,
2. का० कृष्णानन्द मौर्या
3. का० अनूप कुमार





प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना गंगाघाट,
जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 03.10.2025 को थाना गंगाघाट पर मु0अ0सं0 599/2025 धारा 64/74/190/191(2/115(2)/352/351(3) बी0एन0एस0 व 3/ 4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 07.10.2025 को थाना गंगाघाट पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इसराइल पुत्र फौजदार निवासी राजीव नगर खन्ती शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 68 वर्ष को ना बाउण्ड्री के पास सडक के किनारे ट्रासफार्मर के सामने से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इसराइल पुत्र फौजदार निवासी राजीव नगर खन्ती शुक्लागंज थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव उम्र 68 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. व0उ0नि0 दिलीप कुमार प्रजापति
2. हे0का0 सुशील कुमार
3. का0 कां0 इमरान





प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना सोहरामऊ,
जनपद उन्नाव

03 वारंटी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- - आज दिनांक- 07.10.2025 को थाना सोहरामऊ पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण 1. सूरत पुत्र नन्दी पासी निवासी ग्राम चौपई थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 54 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 4899/19 अ0स0 19/19 धारा 60 EX ACT व NBW सम्बन्धित वाद संख्या 2546/2023 अ0स0 199/2019 धारा 60 EX ACT 2. बालकराम पुत्र स्व0 बदलू निवासी ग्राम प्रभूखेडा पहाडपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 60 वर्ष, 3. बबलू पुत्र बालक निवासी ग्राम प्रभूखेडा पहाडपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष सम्बन्धित वाद संख्या 1115/23 अ0स0 76/19 धारा 323/504 भादवि सम्बन्धित माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या -1 जनपद उन्नाव को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सूरत पुत्र नन्दी पासी निवासी ग्राम चौपई थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 54 वर्ष
2. बालकराम पुत्र स्व0 बदलू निवासी ग्राम प्रभूखेडा पहाडपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 60 वर्ष
3. बबलू पुत्र बालक निवासी ग्राम प्रभूखेडा पहाडपुर थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव उम्र करीब 29 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.उ0नि0 श्री लक्ष्मी प्रसाद थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
- 2.हे0का0 जयवीर सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।
- 3.का0 विकास सिंह थाना सोहरामऊ जनपद उन्नाव ।





प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना अचलगंज,
जनपद उन्नाव

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अचलगंज पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 30.09.2025 को थाना अचलगंज पर मु0अ0सं0 525/2025 धारा 87, 352, 351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 87 बीएनएस की लोप कर धारा 69 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 07.10.2025 को थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इमरान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम शेखपुर नहरिया थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 26 वर्ष को खुरमापुर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. इमरान पुत्र हनीफ नि0 ग्राम शेखपुर नहरिया थाना कोतवाली सदर उन्नाव उम्र 26 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक इरशाद त्यागी
2. उ0नि0 शिव कुमार पाण्डेय
3. का0 अर्चित
4. म0आ0 पूजा यादव





प्रेसनोट, दिनांक 07.10.2025

थाना फतेहपुर चौरासी,
जनपद उन्नाव

हत्या के प्रयास के तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.10.2025 को समय 21.05 बजे आगन्तुक श्री गिरिन्दा पुत्र स्व० बाबू नि० मो० रामनगर कस्बा ऊगू थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 55 वर्ष मो०नं० 7392945329 ने थाना हाजा उपस्थित आकर सूचना दिया कि दिनांक 05.10.2025 को मेरी लडकी अनीता गिहार (कंजड) व दामाद छोटू गिहार पुत्र करिया निवासी दिबियापुर जनपद औरैया कस्बा ऊगू में आयोजित मेला देखने के लिए मेरे घर पर आये थे। मेरी बेटी व दामाद व परिवार के लोग कस्बा ऊगू में मेला देखने के लिए गये थे। तभी 1. राजीव पुत्र राजेश निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष, 2. नीलू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कन्धर खेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष, 3. नितिन पुत्र रामविलास निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष मेरे दामाद के साथ धक्का मुक्की करने लगे एवं मार पीट करने लगे इसी बीच राजीव ने अपनी जेब से चाकू निकालकर मेरे दामाद पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिससे मेरे दामाद बुरी तरीके से घायल हो गये और उनकी एक आँख फूट गयी है। आगन्तुक की इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 402/2025 धारा 115(2), 109(1), 118(2), 3(5) BNS B 3(2)V SC/ST ACT बनाम 1. राजीव पुत्र राजेश निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष, 2. नीलू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कन्धर खेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष, 3. नितिन पुत्र रामविलास निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष के पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.10.2025 को

थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 402/2025 धारा 115(2),109(1),118(2),3(5) BNS B 3(2)V SC/ST ACTव 4/25 आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्तगण 1. राजीव पुत्र राजेश निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष, 2. नीलू पुत्र कल्लू निवासी ग्राम कन्धर खेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष, 3. नितिन पुत्र रामविलास निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष को घटना मे प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद कर मुखबिर की सूचना पर कानसेन बाबा/दूर्गा माता मन्दिर कस्बा ऊगू से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. नितिन पुत्र रामविलास निवासी ग्राम सुक्खा खेडा थाना फतेहपुर चौरासी उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष
2. राजीव पुत्र राजेश निवासी ग्राम सुक्खाखेडा थाना फतेहपुर चौरासी उन्नाव उम्र करीब 19 वर्ष
3. नीलू पुत्र कल्लू नि0 कन्धरखेड़ा थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 24 वर्ष

बरामद माल

मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रेम प्रकाश दीक्षित
2. का0 मनोज अत्री
3. का0 अंकित यादव

